ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-6* July - 2017
Innovation The Research Concept

संशोधित पंचायती राज व्यवस्था : राजस्थान के संदर्भ में

सारांश

भारत में पंचायती राज की मान्यता सदियों से रही है। पूर्व में पांच व्यक्तियों द्वारा चलाये गये शासन को पंचायत कहा जाता है। वैदिककाल, उत्तर वैदिक काल, मौर्यकाल, मुगलकाल में भी पंचायतों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि ब्रिटिश काल में इन्हें समाप्त करने का प्रयास किया गया लेकिन विभिन्न विद्वानों द्वारा समय–समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते रहे। परिणामस्वरूप पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था (ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद) व्यवस्था लागू की गई। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। राजस्थान में भी पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू किया गया। संविधान के अनु. 243 के अनुसार पंचायतों को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं को आरक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पंचायतों के 5 आम चुनाव (1995, 2000, 2005, 2010, 2015) का नियमों के आधार पर चयनित प्रतिनिधियों का अध्ययन किया गया।

मुख्य शब्द : पंचायती राज, संवैधानिक, संविधान,

आशा व्यास
व्याख्याता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
श्री वीर बालिका महाविद्यालय,
जौहरी बाजार,
जयपुर, राजस्थान

प्रस्तावना

भारत में पंचायती राज की मान्यता सदियों से रही है। पंचों में परमेश्वर वास करता है, ऐसी हमारी मान्यता रही है। वेदों में भी कहा गया है कि पाँच व्यक्ति समर्पित रूप से मिलकर यज्ञ को पूर्ण करे। गाँधी के अनुसार सच्चे लोकतन्त्र का परिचालन केन्द्र में बैठे व्यक्तियों द्वारा नहीं कराया जा सकता है। इसका क्रियान्वयन प्रत्येक गाँव के निवासियों के माध्यम से ही होना चाहिए। उनके अनुसार जन समर्थन प्राप्त पंचायतों को कोई भी कानून कार्य करने से नहीं रोक सकता। गाँवों का प्रत्येक समूह के सदस्य अपनी पंचायत बना सकते है, चाहे भारत के अन्य गाँवों में पंचायतें हो अथवा नहीं हो। गाँधी जी की यह मान्यता थी कि हर अधिकार कर्तव्य से ही मिलता है। ऐसे अधिकारों से कोई भी वंचित नहीं कर सकता। पंचायत लोगों की सेवा करने के लिए है तथा भारत की हर लोकतन्त्र इकाई गाँव ही है।

संविधान के अनु. 40 में नीति निर्देशक सिद्धान्तों के माध्यम से सदस्यों से अपेक्षा की गई थी कि "राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने हेतु आवश्यक है।" इसी के अनुरूप 1953 में राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद एक्ट 1959 तैयार हुआ व त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएँ गठित की गई। तदनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद गठित की गई। वर्ष 1960 में चुनाव हुए। पंचायती राज संस्थाओं को लोकतन्त्र की महत्त्वपूर्ण इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त हुई।

1960–1965 के दौरान पंचायती राज के आन्दोलन बन गया किन्तु तत्पश्चात् यह क्रम शिथिल पड़ गया। इसे पुनः जीवन्त करने हेतु अनेक समितियाँ गठित की गई तथा उन्होंने महत्त्वपूर्ण सुझाव भी दिये।

सादिक अली कमेटी 1964, गिरधारीलाल व्यास कमेटी 1973, अशोक मेहता कमेटी 1977, जी.वी. के राव कमेटी 1985, लक्ष्मी लाल सिंघवी कमेटी की रिपोर्ट, सरकारी कमीशन की रिपोर्ट, पी.के. थुंगन कमेटी 1989, हरलाल सिंह खर्रा कमेटी 1990, इसके बाद 73वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया।

अध्ययन का उद्देश्य

1. पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया उसे समझने का प्रयास किया गया।
2. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धाराओं का अध्ययन किया गया।

3. महिलाओं के आरक्षित स्थान 33.33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास है।
4. पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर उनकी भूमिका को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
5. शौचालय व्यवस्था का प्रारम्भ कर 'स्वच्छ भारत' बनाने का प्रयास है।

73वां संविधान संशोधन 1992

लोकसभा ने 72वें विधेयक की समीक्षा हेतु संसद सदस्यों की एक संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया। स्व. श्री नाथूराम मिर्घा (राजस्थान) की अध्यक्षता में गठित इस समिति में राज्यों एवं दलों के प्रतिनिधित्व संसद सदस्य थे। समिति ने उपयोगिता एवं व्यावहारिकता की पृष्ठभूमि में विधेयक के विविध प्रावधानों का अध्ययन कर संसद के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे दिनांक 22 दिसम्बर 1992 को लोकसभा एवं अगले दिन राज्य सभा में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में रूप में पारित कर दिया गया। 17 राज्यों से अनुमोदन होने के पश्चात् दिनांक 24 अप्रैल 1993 से अधिनियम सारे देश में लागू कर दिया गया। समिति के सुझावों ने आधार पर विधेयक को पारित करते समय प्रारूप के कुछ संशोधन किये गये, जिसके मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है :–

1. पंचायती राज संस्थाओं को प्रथम बार संवैधानिक दर्जा दिया गया।
2. राज्य निर्वाचन आयोग गठित कर हर 5 वर्ष में चुनाव अनिवार्य किये गये।
3. सभी राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू हुआ।
4. ग्राम सभा को वैधानिक मान्यता दी गई।
5. सभी पंचायती राज संस्थाओं में मतदाता द्वारा सीधे प्रतिनिधि चुने जाएगें।
6. पंच/सरपंच/प्रधान/प्रमुख सदस्यों के पदों में आबादी के अनुपात में सीटों का आरक्षण अनु. जाति/अनु. जनजाति के लिए रहेगा।
7. महिलाओं हेतु कम से कम 33.33 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे।
8. वित्त आयोग हर 5 वर्ष बाद गठित होगा जो वित्तीय स्थिति का अध्ययन कर राज्यपाल को सिफारिश करेगा।
9. जिला आयोजन समितियाँ गठित होकर जिले की समन्वित योजना बनाएगी।

इस प्रकार नवीन पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन क्षेत्र में एक क्रान्तिकारी कदम है। 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं की सहभागिता मील का पत्थर साबित हुई और महिलाओं को भी राजनीति में आने का पर्याप्त अवसर मिला।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

संविधान संशोधन की मंशा अनुसार राजस्थान की पंचायतीराज संस्थाओं हेतु एक संयुक्त व समान रूप से लागू अधिनियम राजस्थान विधान सभा द्वारा 9 अप्रैल 1994 को पारित किया गया जो राज्यपाल के अनुमोदन पश्चात् 23 अप्रैल, 1994 से लागू है। इनमें निम्न प्रावधान है :

वार्ड सभा (धारा 3)

पहली बार वार्ड सभा को एक्ट में शामिल किया गया। पूर्व पंचायत सामान्य नियम 65 में पंचायत क्षेत्रों के निवासियों की बैठक बुलाये जाने का प्रावधान था। 'वार्डसभा' नाम उक्त अधिनियम में पहली बार दिया गया। 1/10 सदस्यों का कोरम व वार्ड सभा के कार्य धारा 4 व 7 में क्रमशः अंकित किये गये।

सतर्कता समिति (धारा 8)

विलोपित किया गया।

पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के सीधे चुनाव (धारा 13 व धारा 14)

राज्य में अब तक केवल पंच व सरपंच के सीधे चुनाव होते थे। अब धारा 13 के अनुसार पंचायत समिति के व धारा–14 के अनुसार जिला परिषद सदस्यों का चुनाव भी सीधे मतदाता द्वारा विहित किया गया।

अनु.जाति/जनजाति/पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं हेतु आरक्षण धारा 15

पंचायतों के पंचों, पंचायत समिति व जिला परिषदों के सदस्यों में निम्न प्रकार स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया :–

1. अनु.जाति, अनु. जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में पंचायत के उतने ही प्रतिशत वार्ड तथा पंचायत समिति के जिला परिषद् के उतने ही निर्वाचन क्षेत्र ऐसी जातियों के प्रत्याशियों हेतु आरक्षित रहेंगे।
2. पिछड़े वर्गों हेतु अधिकतम 21 प्रतिशत वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित रहेंगे जब तक अनु. जाति, अनु. जनजाति, पिछड़े वर्ग की कुल आरक्षित सीटें 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होती। बशर्ते कि 50 प्रतिशत से अधिक व 70 प्रतिशत अधिक हो जाए तो पिछड़ी जाति हेतु कोई आरक्षित स्थान नहीं रहेगा। आरक्षण हर नये चुनाव में पूर्व आरक्षित स्थान छोड़कर सम्बन्धित जाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में होता रहेगा जब तब चक्र पूरा हो, पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण लॉटरी पद्धति से होगा।
3. आरक्षित स्थानों की कुछ संख्या के 1/3 स्थान अनु. जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों एवं सामान्य वर्ग की महिलाओं हेतु लॉटरी द्वारा आरक्षित होगें।

अध्यक्षों के पदों का आरक्षण (धारा 16)

1. पंचायत के सरपंच व पंचायत समिति के प्रधान के पदों का आरक्षण जिला स्तर पर होगा। जिला प्रमुख के पदों का आरक्षण राज्य सरकार के स्तर पर होगा।
2. सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख के पदों का आरक्षण भी जिले में अनु. जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में होगा।
3. पिछड़ी जाति हेतु 21 प्रतिशत तक पदों का आरक्षण होगा
4. 1/3 स्थान अनु. जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों, सामान्य वर्गों की महिलाओं हेतु लॉटरी प्रणाली द्वारा आरक्षित रहेंगे।

पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल (धारा 17)

1. पाँच वर्ष का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से।
2. चुनाव कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व अनिवार्य।

पंच सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए आयु (धारा 19)

21 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। पूर्व में यह आयु 25 वर्ष हुआ करती थी।

कार्य भार का संभलाया जाना (धारा–25)

पूर्व में संरपचों द्वारा कार्यभार नहीं संभालने की अधिक शिकायतें होती थी। न्यायालय में मुकदमे भी चलाते थे।

1. नए अधिनियम की धारा 78(2) अनुसार रिकार्ड पर चार्ज पंचायत के सचिव पास रखा जाकर सरपंच को धारा 32(1) अनुसार पंचायत के अभिलेख के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायीं बनाया गया है।
2. सरपंच की जिम्मेदारी केवल बैठक रजिस्टर की धारा 48(6) अनुसार व वास्तविक कब्जे या उपयोग में रखी कागज पत्रों और सम्पत्तियों की धारा 25(2) अनुसार रखी गई।
3. चार्ज न संभालने की स्थिति में कार्यवाही सक्षम अधिकारी ही करेंगे। रिकार्ड व सम्पत्ति की चार्ज दिलाने हेतु धारा 88(2) के अनुसार उन्हें तलाशी वारन्ट जारी करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति भी दी गई है।

अविश्वास प्रस्ताव (धारा–37)

1. अविश्वास प्रस्ताव पर पूरी कार्यवाही की प्रक्रिया एक्ट में ही वर्णित है।
2. राजस्थान राजपत्र दिनांक 12 दिसम्बर 1994 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एक 4(7) ग्राविय/94/5832 द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस निम्न अधिकारियों को दिया जाएगा :–
   i. सरपंच/उपसरपंच, प्रधान एवं उपप्रधान के विरूद्ध मुख्यकार्यपालक अधिकारी को।
   ii. जिला प्रमुख/उपप्रमुख के विरूद्ध विकास आयुक्त को।
3. चुनाव के पहले दो वर्ष तक धारा 37(13) अनुसार कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।
4. दूसरा अविश्वास प्रस्ताव धारा 37(12) के अनुसार पहले प्रस्ताव के एक वर्ष तक नहीं आ सकता। पूर्व में यह अवधि 6 माह ही थी।

हटाया जाना और निर्वाचन (धारा 38)

1. पूर्व अधिनियम की धारा 17(4) की जगह नये अधिनियम की धारा 38 प्रस्तावित है।
2. सरपंच व प्रधान की तरह प्रमुख/उपप्रमुख को भी धारा 38(4) के तहत् राज्य सरकार निलंबित कर सकती है।
3. धारा 38(5) अनुसार राज्य सरकार का आदेश किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा।

तुरन्त सहायता (धारा 33 व 35)

1. प्रधान की धारा 33(छ) द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वालों को भोजन, कपड़ा, दवाई, चारा आदि हेतु विकास अधिकारी के परामर्श से किसी एक वर्ष में 25,001 रूपये तक व्यय की आपात शक्ति दी गई है।
2. प्रमुख जिला परिषद की धारा 35(च) द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के परामर्श से किसी एक वर्ष में एक लाख रूपये तक व्यय करने की आपात शक्ति दी गई है।
3. नियम 38(2) के अनुसार इस हेतु स्वैच्छिक सहयोग लिया जा सकेगा।

बैठकों में अनुपस्थित होने पर सदस्यता समाप्ति (धारा 39)

सम्बन्धित पंचायती राज संस्था की लगातार तीन बैठकों में लिखित में सूचना दिये बिना सदस्य यदि अनुपस्थित रहता है, तो सुनवाई का अवसर देने बाद धारा 39(2) के तहत् उसे हटाया जा सकता है। यह शक्तियाँ अधिसूचना एक 4(7) ग्राविय विधि 1941 5832 दिनांक 12 दिसम्बर 1994 द्वारा पंच/सरपंच हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रधान/उपप्रधान/प्रमुख/उपप्रमुख हेतु राज्य सरकार में निहित की जा चुकी है। अपील में जिला न्यायधीश धारा 40 के अनुसार अन्तिम निर्णय देगा।

कृत्य एवं शक्तियाँ (धारा 50, 51, 52)

धारा–50, 51, 52 के अनुसार अनुसूची–1, 2 व 3 में पंचायत की शक्तियों व कार्यों का वर्णन है जिनमें मत्स्य पालन, वृक्षारोपण, सिंचाई, साक्षरता, भूमि सुधार, शौचालय व्यवस्था, मृदा संरक्षण, टीकाकरण, पशु मेला, स्वरोजगार, आदि से सम्बन्धित योजनाएँ है।

स्थायी समितियाँ (धारा 56)

1. प्रत्येक स्थायी समिति में पाँच सदस्य होंगे। एक स्थायी समिति का सदस्य एक से अधिक समितियों का सदस्य भी रह सकेगा।
2. धारा 56 (9) के अनुसार स्थायी समिति का हर साल दुबारा गठन होगा। रिटायरमेन्ट का कोई प्रावधान नहीं है। जब एक–दूसरे वर्ष पुनगर्ठन नहीं हो, पुरानी स्थायी समिति कार्य करती रहेगी। उसे पुनः गठित किया जा सकेगा। वहीं सदस्य आगामी वर्षों में भी कायम रह सकते है।

शास्ति आरोपित करने की पंचायत की शक्ति (धारा 62)

पंचायत की आज्ञा का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को 200 रूपये तक पंचायत शास्ति आरोपित कर सकेगी अथवा जारी रहने पर 101 रूपये प्रतिदिन तक अतिरिक्त शास्ति लगाई जा सकेगी। पूर्व में यह राशि केवल 15 रूपये व 14 रूपये थी जिसे समय व आवश्यकतानुसार बढ़ा दिया गया है। न्याय की दृष्टि से सुनवाई का अवसर देकर ही शास्ति आरोपित करनी चाहिए।

कर लगाने की शक्तियाँ (धारा 65, 68 व 69)

धारा–65 के अनुसार ग्राम पंचायत भवन कर, चुंगी कर, वाहन कर, तीर्थ यात्री कर व वाणिज्य फसलों पर कर, आपत्तियाँ सुनने के बाद पंचायत प्रस्ताव द्वारा लगा सकेगी। राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति यात्री कर छोड़कर शेष करों हेतु आवश्यकता नहीं है। आधा प्रतिशत से अधिक दर चुंगी लगाने की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। भू–राजस्व के बराबर वाणिज्य फसलों पर कर वसूल करने की शक्ति नियम 94 अनुसार पंचायत को दी गई है।

सचिव या समूह पंचायत सचिव के कर्तव्य धारा 78(2)

1. पंचायत समिति के विकास अधिकारी की तरह ग्राम पंचायत के सचिव की जिम्मेदारी होगी कि अभिलेख व रजिस्टर अपनी अभिरक्षा में रखे, अपने हस्ताक्षर से ही रसीदें जारी करे, लेखे संधारित करे, निधि की

सुरक्षा रखे, नियमों द्वारा निर्धारित अन्य कार्य करे। सरपंच को ऐसे कार्यों से मुक्त कर दिया गया है।

2. धारा 64(5) के तहत् बैंक या पोस्ट ऑफिस से राशि आहरण सरपंच व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से पचांयत की स्वीकृति अनुसार संभव होगा। विशेष परिस्थिति में सरपंच या सचिव के स्थान पर विकास अधिकारी हस्ताक्षर कर सकेगा।
3. सरपंच इस हेतु उत्तरदायीं होगा कि सचिव के कब्जे में पंचायत के अभिलेख सुरक्षित रहे जैसा धारा 32(1)(ग) में स्पष्ट है। पंचायत के कर्मचारी होने से सचिव के कार्य पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण और नियन्त्रण सरपंच रखेगा

राशि आहरण शक्ति धारा 64(5)

विकास अधिकारी अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी 20,000 रूपये तक राशि स्वयं के हस्ताक्षर से ही आहरण कर सकेंगे। अधिक राशि के चैक पर प्रधान या प्रमुख के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। परिस्थिति में लिखित कारण दर्ज कर प्रधान के स्थान पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी व प्रमुख के स्थान पर कलेक्टर हस्ताक्षर कर सकेंगे।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियाँ (धारा 84)

1. पंचायतीराज से सम्बन्धित सभी मामलों में जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ही सर्वोच्च अधिकारी है। वह जिला प्रभारी पंचायत नियुक्त है। धारा 97 के तहत् अधिसूचना 12/12/1994 द्वारा यह शक्ति प्रदान की गई है।
2. धारा 88 के अनुसार मुख्य कार्यपालक अधिकारी को तलाशी वारन्ट जारी करने की दण्डनायक की शक्ति भी दी गई जो पूर्व में नहीं थी।

राज्य सरकारों की स्थानान्तरण की शक्ति (धारा 89 (8) (क)

किसी अधिकारी/कर्मचारी को जिले के अन्दर या बाहर एक पंचायत समिति से जिला परिषद से दूसरी पंचायत समिति/जिला परिषद में स्थानान्तरण करने हेतु प्रधान/जिला प्रमुख की राय लेना आवश्यक नहीं होगा।

अनुशासनिक कार्यवाही (धारा 91)

धारा 91 (2) (ख) के अनुसार परिनिन्दा या वेतन वृद्धि रोकने का लघु दण्ड किसी पंचायत समिति व जिला परिषद सेवा के कर्मचारी को विकास अधिकारी प्रधान के अनुमोदन बाद तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला प्रमुख के अनुमोदन बाद ही दे सकेगा। उसकी अपील जिला स्थापना समिति को ही होगी।

जिलाधीश की शक्तियाँ (धारा 92)

1. निर्वाचन नियमों अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी के नाते पंचायतों के चुनाव का कार्य कलेक्टर करते है। वार्डों व निर्वाचन क्षेत्रों का प्रकाशन नियम 3 व 4 के अनुसार नियम 7 अनुसार आरक्षण, नियम 11 के अनुसार, मतदाता सूची की तैयारी, नियम 22 के अनुसार कागज पत्रों की अभिरक्षा व विनाश, नियम 23 के अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना, रिटर्निंग ऑफिसर व स्टॉफ की नियुक्ति, निर्वाचन सामग्री की व्यवस्था, नियम 59 के अनुसार प्रधान/उपप्रधान के चुनाव हेतु पंचायत समितियों की बैठकें व अधिकारी नियुक्त करना, तीन माह तक स्थायी कमेटी गठित न होने के नियम 64 ;पपपद्ध के अनुसार बैठकें करवाकर स्थायी समितियाँ गठित करवाना कलेक्टर के निर्वाचन सम्बन्धी कार्य है।
2. पंचायतीराज संस्था का संकल्प धारा 92(3) की शक्ति का प्रयोग कर लिखित आदेश देकर निलम्बित कर सकेगा। यदि उनमें मानव जीवन, व्यक्ति स्वास्थ्य या सुरक्षा या सम्पत्ति को खतरा हो।
3. जब तक जिला विकास अभिकरण जिला परिषद में शामिल नहीं होता व कलेक्टर जिला विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष है, तब तक जिला विकास अधिकारी का कार्य करते रहेंगे।
4. धारा 71 के अन्तर्गत पंचायत समिति के कर निर्धारण के विरूद्ध अपील कलेक्टर के समक्ष पेश होगी। अधिसूचना दिनांक 12 दिसम्बर, 1994 द्वारा शक्तियाँ दी जा चुकी है।

वित्त आयोग (धारा 118)

संविधान संशोधन के अनुरूप 5 वर्ष में वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं को आय बढ़ाने, राज्य सरकार से करों का हिस्सा आदि के बारे में सिफारिश राज्यपाल को देगा। 1995 से 2015 तक वित्त आयोग सिफारिशें दे चुका है। मन्त्रिमंडल की स्वीकृति के बाद राशि भी हस्तान्तरित हो चुकी है।

राज्य निर्वाचन आयोग (धारा 119)

संविधान संशोधन के अनुरूप राज्य निर्वाचन आयोग गठित किया गया है। धारा 17 के अनुसार चुनाव 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले करवाना राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है।

अन्य प्रावधान (धारा 108, 109 व 110)

1. धारा 108 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के सभी सदस्य व कर्मचारी अधिकारी लोक सेवक माने गए है।
2. धारा 109 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के विरूद्ध सिविल दावा करने के पहले दो माह का पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होगा।
3. धारा 110 के अनुसार पुलिस अधिकारी पंचों, अधिकारियों, कर्मचारियों को पंचायत के विधिपूर्ण अधिकारों के प्रयोग हेतु सहायता करने के लिए पाबन्द किये गये है।

इसके पश्चात् भारत सरकार ने 27 अगस्त 2009 को महिलाओं की सिफारिश की दिशा में ऐतिहासिक पहल करते हुए पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए संविधान में अनुच्छेद 243(डी) में संशोधन करना होगा। संविधान में प्रस्तावित संशोधन नागालैण्ड, मेघालय, मिजोरम, असम के आदिवासी क्षेत्रों, त्रिपुरा, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर पूरे देश में प्रभावी होगा।

पंचायतों को अधिक सशक्त बनाने के लिए राजस्थान पंचायतीराज संशोधन अध्यादेश 2014 को राज्यपाल महोदय द्वारा 8 दिसम्बर 2014 को राजस्थान पंचायत अधिनियम की संख्या 13 की धारा 7 में कहा गया

है कि पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए शौचालय की व्यवस्था हो। कोई भी परिवार का सदस्य खुले में शौच के लिए न जाता हो। "स्वच्छ शौचालय" से तीन दीवारों एक दरवाजें और छत से घिरी हुई कोई जल–बंध (वाटर शील्ड) शौचालय प्रणाली अभिप्रेत है। पंचायतीराज अधिनियम 1999 संख्या 13 की धारा 102 में 'नोटा' को भी सम्मिलित किया गया।

राजस्थान पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2015 का अधिनियम क्रमांक 1 अप्रैल 2015 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई लेकिन 20 दिसम्बर 2014 को प्रवृत समझा जाएगा जिसके अनुसार पंचायत अधिनियम संख्या 13 की धारा 19 में कहा गया है कि (द) पंचायत अधिनियम की जिला परिषद या पंचायत समिति के सदस्य के मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या उसके समकक्ष किसी बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण हो। (घ) किसी अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत के सरपंच के मामले में किसी विद्यालय से कक्षा 5 उत्तीर्ण हो। (न) किसी अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत से भिन्न किसी पंचायत के सरपंच के मामले में किसी विद्यालय से कक्षा 8 उत्तीर्ण हो।

इस प्रकार, राजस्थान में नये पंचायतीराज अधिनियम लागू करने से महिलाओं को राजनीति में आने का अवसर मिला जो कि लोकतंत्र की व्यवस्था को दृढ़ बनाने का अथक प्रयास था। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि नवीन पंचायतीराज व्यवस्था लागू होने से ही महिलाएँ वास्तविक रूप से सशक्त होगी और सशक्तिकरण का यह प्रयास सराहनीय होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *जी.एस. नरवानी, राजस्थान पंचायतीराज मैन्युअल, डोमिनियन लॉ डिपो, जयपुर 2005. पृ. 1.*
2. *निरंजन मिश्र, भारत में पंचायती राज, आइडियल, प्रिन्टिंग प्रेस, 2006, जयपुर पृ.सं. 49–50.*
3. *एम.एन. अंसारी, महिला और मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2000, पृ. 367.*
4. *स्वप्निल सारस्वत, निशान्त सिंह, समाज राजनीति और महिलाएँः दशा और दिशा, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2004, पृ. 129.*
5. *देवेन्द्र उपाध्याय, पंचायतीराज व्यवस्था, नई दिल्ली, सामयिक प्रकाशन, 1993, पृ.सं. 80–82.*
6. *आर.पी. जोशी,रूपा मंगलानी, पंचायती राज के नवीन आयाम, यूनिवर्सिटी बुक हाउस, जयपुर 1998, 2000, पृ. 135.*
7. *श्रीनाथ शर्मा, मनोज कुमार सिंह, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2004, पृ. 135.*
8. *के.के. शर्मा, भारत में पंचायतीराज, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, पृ.सं. 7–8.*
9. *आशा व्यास, पंचायतीराज में महिलाएँ, पोईन्टर पब्लिशर्स, जयपुर 2012, पृ.सं. 48–49.*
10. *शमता सेठ, पंचायती राज, हिमांशु पब्लिकेशन, उदयपुर, नई दिल्ली, 2002, पृ. 31.*